मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 16–20/2016/2/34 भोपाल, दिनांक 14 SEP 2017

आदेश

शासन के आदेश क्रमांक 2813/आर–2635/2017/2/34 दिनांक 15.06.2017 द्वारा बंद नलजल योजनाओं की वार्षिक संचालन–संधारण राशि की गणना हेतु योजनाओं की प्राक्कलित लागत की 3 प्रतिशत राशि को वार्षिक संचालन–संधारण की राशि के रूप में प्रस्तावित किये जाने तथा एक नलजल योजना की वार्षिक संचालन–संधारण की न्यूनतम राशि रूपये 60,000/– रखे जाने के निर्देश थे। साथ ही इसी आदेश से बंद नलजल योजनाओं की संचालन–संधारण की अवधि 02 वर्ष जिसे आपसी सहमति से 05 वर्ष तक बढ़ाये जाने का प्रावधान रखा जाये।

नवीन नलजल योजनाओं में संचालन–संधारण की राशि के निर्धारण तथा अवधि के संबंध में तकनीकी समिति की छठवीं बैठक दिनांक 21.08.2017 में की गई अनुशंसा के आधार पर निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

- भूजल स्त्रोत आधारित नवीन एकल नलजल योजना के प्रथम वर्ष हेतु संचालन–संधारण की राशि योजना लागत का 2 प्रतिशत रखीं जावे। इस प्रकार प्रथम वर्ष हेतु आंकलित संचालन–संधारण की वार्षिक प्राक्कलित राशि रूपये 60000/– से कम प्राप्त होने पर इसे न्यूनतम रूपये 60000/– रखा जावे तथा प्राक्कलित लागत रूपये 150000/– से अधिक प्राप्त होने पर इसे अधिकतम रूपये 150000/– रखा जावे। उपरोक्त अनुसार आंकलित संचालन–संधारण की राशि में विद्युत देयक की राशि सम्मिलित नहीं है। आगामी वर्षो हेतु प्रथम वर्ष की उपरोक्त अनुसार आंकलित राशि में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि कर प्राक्कलित राशि का आंकलन किया जाये।
- योजना की डी.पी.आर. में 02 वर्षों के संचालन–संधारण हेतु राशि का प्रावधान किया जावे तथा इस कार्य हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदा में 02 वर्ष के संचालन–संधारण की आवधि को अनुबंधकर्ताओं की आपसी सहमति से 05 वर्ष तक बढ़ाये जाये का प्रावधान शामिल किया जावे।
- वित्त विभाग द्वारा अन्य योजनाओं की डी.पी.आर. की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु आयोजित बैठकों में कंटनजेंसी की राशि में कटौत्रा करते हुये इसे योजना लागत की 1 प्रतिशत राशि तक सीमित किया जाता है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये नवीन योजनाओं में कंटनजेंसी हेतु राशि योजना लागत का 1 प्रतिशत रखा जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/09/2017
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी .विभाग

पृ. क्रमांक एफ 16–20/2016/2/34 भोपाल, दिनांक 14 SEP 2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां.भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।

09/2017

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग